संख्या:865/2023/2700/35-4-2023/35-4099/128/2023

प्रेषक,

जे0एल0यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 20 अक्टूबर, 2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-सहारनपुर की वि0स0 क्षेत्र-नकुड में शासनादेश सं0-431/2023/1097/35-4-2023, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा 08 कार्यों की रू0 295.23 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2. एतदद्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत 08 कार्यों में से 02 कार्यों यथा- **(1) ग्राम सॉपली से बहरामपुरा मार्ग बलकार के खेत से गांव की ओर सी0सी0रोड निर्माण कार्य, लागत रू0 33.66 लाख एवं (2) ग्राम गदरहेड़ी झबीरण मार्ग से सांपाला-तिरपड़ी मार्ग की ओर सी0सी0रोड निर्माण कार्य, लागत रू0 33.51 लाख** को मण्डी परिषद द्वारा करा दिए जाने के कारण इन कार्यों की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0-431/2023/1097/35-4-2023, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत उक्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या:865/2023/2700(1)/35-4-2023/35-4099/128/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायक्त, सहारनपर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सहारनपर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सहारनपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।